छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री सोहन पोटाई, लोकसभा के पूर्व सांसद।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–7/2004/XII, दिनांक 19 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 पटल पर रखेंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13–03/2008/20–2 (3), दिनांक 20 सितम्बर, 2022 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार :–

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 4–17/2016/18, दिनांक 08 फरवरी, 2018,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4–17/2016/18, दिनांक 28 जून, 2021,

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4–20/2016/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021,

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 4–18/2016/18, दिनांक 30 मार्च, 2022 तथा

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 4–18/2016/18, दिनांक 29 अगस्त, 2022 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, रायपुर जिले के कंडरा/बसोड़ परिवारों को निर्धारित मात्रा एवं दर से बांस उपलब्ध नहीं कराये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, शैलेष पाण्डेय, सदस्य, रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस–वे का निर्माण गाईड लाइन के अनुरूप नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 66 वैशालीनगर के सदस्य, श्री विद्यारतन भसीन को मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 01 मार्च, 2023 से दिनांक 24 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम संबलपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम भोथली में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम बागतराई में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम मुजगहन में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(v) ग्राम बारना में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(vi) ग्राम कसावाही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(vii) इतवारी बाजार, धमतरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(viii) नगर पंचायत आमदी में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(ix) धमतरी से नगरी मार्ग में महानदी मुख्य नहर पर नवीन वृहद पुलिया निर्माण करने,

(x) ग्राम भोथली से पीपरछेड़ी डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग का डामरीकरण करने

(xi) ग्राम देमार से उसलापुर मार्ग का डामरीकरण करने,

(xii) नगर पंचायत आमदी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने,

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, रायपुर उत्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दानवीर भामाशाह वार्ड स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का पुनर्निर्माण करने,

क्रमशः 3

(3) श्री चक्रधर सिंह सिदार, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम रेगांव में हाईस्कूल खोलने,

(ii) ग्राम सपनई में हाईस्कूल खोलने,

(iii) ग्राम गहनाझरिया में हाईस्कूल खोलने तथा

(iv) ग्राम सामास्मा में हाईस्कूल खोलने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान विधेयक,2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 12 मार्च,2023